

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामावतार बनाम नानूराम वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए निर्णय दिनांक 15.05.2026 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 15.05.2026 | <p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र एकतरफा सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नंबर 229/105 तादादी 1.3340 हैक्टेयर, खसरा नंबर 233/125 तादादी 3.4300 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 28 तादादी 1.2600 हैक्टेयर वाकेरोही मिगसरिया तहसील श्रीडूंगरगढ पैतृक कृषि भूमि है। मूलवाद की विषयवस्तु का सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष का निर्धारण मूलवाद में किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णयक्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सरे इजलास सुनाया गया।</p> | |



(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ